

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1753
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ताप संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

1753. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और बैंगलुरु जैसे सभी प्रमुख महानगर ताप संयंत्रों, पुनर्विकास और अवसंरचना परियोजनाओं को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक दिनांक 31.03.2023 को 36.95 मिलियन टन (एमटी) (लगभग 13 दिनों के लिए पर्याप्त) से बढ़कर दिनांक 31.03.2024 को 50.69 मीट्रिक टन (लगभग 18 दिनों के लिए पर्याप्त) हो गया। दिनांक 30.11.2024 को विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक लगभग 39.9 मीट्रिक टन है, जो 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर लगभग 14 दिनों के लिए पर्याप्त है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और बैंगलुरु जैसे प्रमुख महानगरों सहित देश में विद्युत की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) : भारत सरकार द्वारा मांग वृद्धि के साथ विद्युत आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

(i) संस्थापित उत्पादन क्षमता मार्च 2014 में 2,48,554 मेगावाट से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 4,54,452 मेगावाट हो गई है।

विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के परामर्श से वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की तापीय क्षमता जोड़ने की योजना की परिकल्पना की है। इस लक्ष्य के निमित्त, 29,200 मेगावाट तापीय क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है, जबकि 51,520 मेगावाट योजना और विकास के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा, 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएँ और 6,050 मेगावाट पंप भंडारण

परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएँ और 50,760 मेगावाट की पीएसपी योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 7,300 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और 7,000 मेगावाट योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ii) वर्ष 2014 से 1,98,970 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 7,53,799 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है, जिसमें देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 1,18,740 मेगावाट अंतरित करने की क्षमता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

(iii) सौर, पवन, पंप भंडारण संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभार की छूट।

(iv) नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्टरी वर्ष 2029-30 तक।

(v) हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना।

(vi) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

(vii) भारत ने वर्ष 2031-32 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

(viii) आरडीएसएस के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण अवसंरचना के कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है।

(ix) पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) के तहत राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के सुधार के लिए कुल 188 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(x) पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम) ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीएडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएम) की शुरुआत की गई। साथ ही, डिस्कामों द्वारा अल्पकालिक विद्युत क्रय के लिए ई-बिडिंग और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (अनुकूल विद्युत मूल्य) की शुरुआत की गई।
